न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 23/2018 आर्म्स एक्ट
GCMS No. 2018/00079

अनवानी :– राजविन्द्र सिंह पुत्र नामदार सिंह जाति जटसिख साकिन चक 60 जी.बी. (बी.) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

— बनाम —

राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
राज्य पक्ष की ओर से — सहायक लोक अभियोजक

निर्णय

दिनांक : 27.04.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.04.2018 जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 308/62 डीएम गंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता श्री नामदार सिंह पुत्र श्री करनेल सिंह के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 308/62 डीएम गंगानगर बना हुआ है। जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात् समस्त वारिसान की सहमति से अपीलांट ने पिता के स्थान पर शस्त्र लाईसेंस हेतु प्रार्थना पेश करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये। अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2017 को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के दिनांक 25.04.2018 को नवीन आर्म्स लाईसेंस हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री विजय कुमार पारीक ने बहस में मुख्य कथन किया कि अपीलांट के पिता श्री नामदार सिंह पुत्र श्री करनेल सिंह के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 308/62 डीएम गंगानगर बना हुआ है। जिस पर दर्ज शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल गन है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात् समस्त वारिसान की सहमति से अपीलांट ने पिता के स्थान पर शस्त्र लाईसेंस हेतु प्रार्थना पेश करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये। अपीलांट शस्त्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिनांक 05.04.2018 भी प्रस्तुत किया। अपीलांट शांतिप्रिय नागरिक है तथा अपीलांट के विरूद्ध कोई गंभीर प्रकृति का मुकदमा या किसी प्रकार का प्रकरण कही भी दर्ज नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर कि सन् 2011 में अपीलांट को आई. पी.सी. की धारा 283 व 143 के तहत दोषी पाया गया था, के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वास्तव में किसान आंदोलन के समय हजारों किसानों के विरूद्ध उक्त साधारण किस्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस पर मात्र सौ रूपये की पेनल्टी पर मुकदमा समाप्त कर दिया गया था। इस आधार पर शस्त्र लाईसेंस न देना अपीलांट के साथ नाइंसाफी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उसने अपने जीवन को खतरे से संबंधित भी कोई सबूत पेश नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2018 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में जो कारण अभिलिखित किये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नवीन शस्त्र लाईसेंस (मृतक पिता के स्थान पर) हेतु वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगागनर का आदेश दिनांक 25.04.2018 नैसर्गिक न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

8. तद्नुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.नीरज के.पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर